

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2013/00897

नरक
अहम
हुकम व
ज

15/6/17

वकील वादी उपा० पार्थिव ने इस आ० पत्र में सांगरह
 निवेदन किया है कि आ० लाम्बा लहरील मसूदा जिला
 अजमेर की जमावदी संख्या 2065-68 के खाल सं. 566 के
 कुल खसरा कित 20 खब्बा 42-15-00 बीघा भूमि
 मोड जी की विशालता से उनके पुत्रान अर्थात् सं. 1 सुरज
 मल तथा पार्थिव के पति भागीरथ जी के नाम लगी।
 पार्थिव 1 भागीरथ की पत्नी तथा 2 व 3 पुत्रियां हैं। विवादित
 अर्थात् अविभाजित है जिसमें 1/2 हिस्सा पार्थिव का
 का तथा 1/2 हिस्सा अर्थात् 1 का है जिसे वह बेचना
 चाहता है। अविभाजित भूमियों के बेचने पर विवाद लेगा
 है। अर्थात् सं. 1 को तफैसला वाद के जरिये अर्थात्
 निवेदाता निवेद्य किया जावे मैंने विद्वान अर्थात्
 पार्थिव को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया विवादित
 अर्थात् में पक्षकारान वरिसे वरावर 1/2-1/2 हिस्से से
 खातेदार हैं। एसी स्थिति में प्रतिवादी वंश अर्थात् हिस्से
 की अर्थात् को भार उतार करे, हस्तांतरण करे आदि
 के लिए वरिसे वरावर सहखातेदार स्वतंत्र हैं। आ० पत्र पार्थिव का
 स्वीकार योग्य न लेने से खारिज किया जाता है। मिसल
 फौसल सुमार होकर नम्बर से कम है।

ह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

